शीघ्र प्राथमिकता

संख्या:1280 /68-5-2019-010/2017 टी०सी०

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक 2 / नवम्बर, 2019

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

विषयः बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों को संरक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन को यह संज्ञानित हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं उनसे संलग्न रिक्त भूखण्डों पर अवैध रूप से अतिक्रमित किए जाने के कारण न केवल छात्र–छात्रों के पठन–पाठन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शासकीय सम्पत्ति की भी क्षति हो रही है। इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गए हैः–

(1) बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का *सीमांकन* अभियान चलाकर, समयबद्ध ढंग से किया जाए तथा ऐसी समस्त भूमियों को नियमानुसार *राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि (इंद्राज)* किए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(2) परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सर्वेक्षण करा लिया जाए। यदि इन विद्यालयों की भूमियाँ अतिक्रमित की गईं हों तो ऐसे समस्त अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल हटवाने की कार्यवाही भी समयबद्ध ढंग से कराई जाए तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(3) *आपरेशन कायाकल्प* के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतप्त किए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से निर्गत *शासनादेश संख्या–2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019* में *चहारदीवारी एवं गेट निर्माण* के कार्य को अधिक वरियता के कार्य में वर्गीकृत करते हुए पहले चरण में पूर्ण किए जाने के स्पष्ट दिशा–निर्देश हैं।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

अतएव ऐसे समस्त परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाए जो चहारदीवार–विहीन हैं तथा मानक के अनुरूप चहारदीवारी का निर्माण कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

21/11/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0)।
2–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3–निदेशक शिक्षा (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner